



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-01, सैक्टर-के०पी०-04, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक: जल/2020/3156

दिनांक: 30/3/2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2013 के कार्यवृत्त के मद संख्या 95/10 के निर्णयानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ग्रेटर नौएडा नगरीय क्षेत्र में निर्मित आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यवसायिक एवं सामूहिक आवासीय योजनाओं/बिल्डर्स एवं आईटी0 के भूखण्डों के आवंटियों को जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत पूर्व वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित अग्रिम जल शुल्क की दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुये वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं, जो दिनांक 01.04.2020 से लागू मानी जाएगी :-

(अ) आवासीय भवनों/भूखण्डों हेतु न्यूनतम देय जल शुल्क दरें:-

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिमाह देय जल मूल्य की दरें (रु० में)
(1)	(2)	(4)
1	शून्य से 60 वर्ग मीटर तक	118.00
2	60 से अधिक तथा 120 वर्ग मीटर तक	195.00
3	120 से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक	352.00
4	200 से अधिक तथा 350 वर्ग मीटर तक	584.00
5	350 से अधिक तथा 500 वर्ग मीटर तक	779.00
6	500 से अधिक तथा 1000 वर्ग मीटर तक	1170.00
7	1000 से अधिक तथा 1100 वर्ग मीटर तक	1365.00

(ब) संस्थागत, औद्योगिक, आईटी0 एवं व्यवसायिक भूखण्डों हेतु न्यूनतम देय जल शुल्क दरें :-

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिमाह देय जल मूल्य की दरें (रु० में)
(1)	(2)	(4)
1	1000 वर्गमीटर तक	584.00
2	1000 वर्गमीटर से अधिक तथा 2000 वर्गमीटर तक	1170.00
3	2000 वर्गमीटर से अधिक तथा 3000 वर्गमीटर तक	1755.00
4	3000 वर्गमीटर से अधिक तथा 4000 वर्गमीटर तक	2339.00
5	4000 वर्गमीटर से अधिक तथा 5000 वर्गमीटर तक	2925.00
6	5000 वर्गमीटर से अधिक तथा 6000 वर्गमीटर तक	3509.00
7	6000 वर्गमीटर से अधिक तथा 7000 वर्गमीटर तक	4093.00
8	7000 वर्गमीटर से अधिक तथा 8000 वर्गमीटर तक	4677.00
9	8000 वर्गमीटर से अधिक तथा 9000 वर्गमीटर तक	5262.00
10	9000 वर्गमीटर से अधिक तथा 10000 वर्गमीटर तक	5847.00
11	10001 वर्ग मीटर से 5 एकड तक	9743.00
12	5 एकड से अधिक तथा 15 एकड तक	19489.00
13	15 एकड से अधिक तथा 25 एकड तक	29233.00
14	25 एकड से अधिक तथा 50 एकड तक	38975.00
15	50 एकड से अधिक तथा 60 एकड तक	48719.00
16	60 एकड से अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रति एकड अथवा उसके भाग पर, प्रति एकड रु० 9744.00 देय होगा। जैसे 61 एकड की दर = 48719.00+9744.00 = 58463.00	(48719.00 + 9744.00) (60 एकड + प्रति एकड) जैसे 61 एकड की दर = 48719.00 + 9744.00 = 58463.00

क्रमशः.....2

(स) सामूहिक आवासीय योजनाओं/बिल्डर्स हेतु न्यूनतम देय जल शुल्क दरें :-

क्र०सं०	मुखण्ड क्षेत्रफल	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिमाह देय जल मूल्य की दरें (रु० में)
(1)	(2)	(4)
1	शून्य से 5000 वर्ग मीटर तक	17540.00
2	5000 से अधिक तथा 7500 वर्ग मीटर तक	21748.00
3	7500 से अधिक तथा 10000 वर्ग मीटर तक	30868.00
4	10000 से अधिक तथा 15000 वर्ग मीटर तक	43848.00
5	15000 से अधिक तथा 25000 वर्ग मीटर तक	70155.00
6	25000 वर्गमी० से अधिक तथा 10 एकड़ तक	114001.00
7	10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रति एकड़ अथवा उसके भाग पर, प्रति एकड़ रु० 7,973.00 देय होगा । जैसे 11 एकड़ की दर = 103637+7973	(114001.00 + 8770.00) (10 एकड़ + प्रति एकड़) जैसे 11 एकड़ की दर = 114001.00 + 8770.00 = 122771.00

सामान्य शर्तें

- वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह अर्थात् 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक वार्षिक जलमूल्य जमा कराये जाने पर 5% की छूट देय होगी।
- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी वार्षिक जल-कर/जल शुल्क जमा न कराये जाने पर 31 मार्च के बाद देय राशि पर 11% वार्षिक ब्याज की दर, जो छमाही चक्रवृद्धि होगी, देय होगी।
- बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम आहरित होना चाहिए तथा ग्रेटर नोएडा/नोएडा/दिल्ली पर देय होना चाहिए।
- आवंटी अपना KYA प्राधिकरण में Update कराकर ONLINE भी जल मूल्य जमा करा सकते हैं।

(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी०) को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस०के०/एस०एस०) को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना-1/2) को सूचनार्थ।
5. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) को सूचनार्थ।
6. उप महाप्रबन्धक (वित्त/अर्बन सर्विस) को सूचनार्थ।
7. प्रभारी (नियोजन/बिल्डर्स/संस्थागत/आई०टी०) को सूचनार्थ।
8. प्रभारी (सिस्टम) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त आदेश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेब साइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)/ को सूचनार्थ।
10. शाखा प्रबन्धक (केनरा बैंक/कारपोरेशन बैंक/इण्डियन बैंक/पंजाब नैशनल बैंक/ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार जल शुल्क जमा करने के चालानों में अंकित कराने का कष्ट करें।
11. प्रबन्धक (सिस्टम) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. वरि० प्रबन्धक (जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी